भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. संख्या 6/05/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

मामला संख्याः ए डी (ओआई) -05/2023
जांच शुरूआत अधिसूचना

दिनांकः 30 जून, 2023

विषय: चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर)" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "एडी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, रिलायंस सिबूर इलेस्टोमर प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका (जिन्हें आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (जिसे यहां आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" अथवा या "पीयूसी" या "आईआईआर" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है ।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के डंप आयात ने घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से धीमा कर दिया है और घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पहुंचाई है। तदनुसार, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। हालाँकि, प्राधिकरण ने प्रथम दृष्टया माना है कि संबद्ध देशों में उत्पादित या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के डंप आयात के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

क. <u>विचाराधीन उत्पाद</u>

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "आइसोबुटीलीन-आइसोप्रीन रबड़ (आईआईआर) है जो एक सिंथेटिक रबड़ है, जिसे टायरों के इनर ट्यूब और अन्य उच्च दबाव ट्यूबों के विनिर्माण में आम तौर पर प्रयोग किया जाता है । आईआईआर के अनुप्रयोगों में टयूब और टायर इनर लाइनर शामिल हैं जो न्यूमेटिक टायर विनिर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है । इसे डायाफ्रेम, गेस्केट, वायर और केबल इंसुलेशन, लाइनर, ओ-रिंग, सील, वेदर स्ट्रिपिंग और बॉटल के ढक्कनों में भी प्रयोग किया जाता है ।

4. विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 40 में टैरिफ कोड 4002 31 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नही है ।

5. संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार पीयूसी तथा पीसीएन के निर्माण के लिए अपने प्रस्ताव यदि कोई हों, संबंधी अपनी टिप्पणियां इस जांच की शुरूआत की तारीख से 30 दिनों के भीतर दे सकते हैं ।

ख. <u>समान वस्तु</u>

6. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तु में कोई ज्ञात खास अंतर नहीं है । इन दोनों उत्पादों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं/विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण जैसे मापंडों की दृष्टि से तुलनीय विशेषताएं हैं । आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । अतः प्रस्तावित जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध

वस्तु को संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

ग. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

7. यह आवेदक रिलायंस सिबूर इलेस्टोमर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदक ने बताया है कि उसने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है क्योंकि अपने उत्पादन की वाणिज्यिक शुरूआत से पहले आरंभिक विपणन कार्यकलाप करने के लिए ऐसे आयात आवश्यक थे । तथापि, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद कोई आयात नहीं किए गए हैं ।

8. आवेदक ने यह भी बताया है कि वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और सिबूर इन्वेस्टमेंट एजी के बीच एक संयुक्त उद्यम है । सिबूर इन्वेस्टमेंट एजी, पीजेएससी एसआईबीयूटी होल्डिंग की एक 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है जो रूस में विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक सिबूर टागलियाटी की 100 प्रतिशत धारक कंपनी हुआ करती थी । सिबूर के पास रूस में विचाराधीन उत्पाद के एक उत्पादक पीजेएससी नीझेकमस्नेफ्टेकिम में भी हिस्सा है । तथापि, भारत को ऐसे उत्पादकों के कोई सीधे निर्यात नहीं हैं । निर्यात यदि कोई हों, को व्यापारियों द्वारा किए गए हैं । आवेदक ने दावा किया है कि रिलायंस इडस्ट्री के पास अधिकांश शेयर हैं और इसलिए रिलायंस सिबूर इलारस्टोमर प्राइवेट लिमिटेड पर उसका पूरा नियंत्रण है । इसके अलावा, आवेदक और पीजेएससी नीझेकमस्नेफ्टेकिम को नियम 2(ख) के अंतर्गत संबंधित नहीं माना जा सकता है क्योंकि ये दोनों कंपनियां एक दूसरे पर कानूनी या प्रचालनात्मक नियंत्रण रखने की स्थिति में नहीं है और किसी तीसरी कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं है, इसलिए उन्हें किसी निर्यातक या संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के उत्पादक से संबंधित नहीं समझना चाहिए ।

9. रिकॉर्ड पर मौजूद जानकारी से प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिलायंस इलास्टोमर प्राइवेट लिमिटेड भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है । आवेदक के पास भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है । उपर्युक्त के मद्देनजर, और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी प्रथमदृष्टया नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के अनुसार, पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करता है ।

घ. सामान्य मूल्य

चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते हैं कि बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं विद्यमान हैं, उनके सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 7 के अनुसार निर्धारित करना चाहिए । सामान्य मूल्य को तर्कसंगत लाभ के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों के लिए विधिवत रूप से समायोजित रूप में भारत में उत्पादन लागत के आधार पर परिचलित किया गया है ।

रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि वह संबद्ध देशों में घरेलू बिक्री कीमत संबंधी साक्ष्य जुटाने में असमर्थ रहा था। चूंकि अधिकांश देश आयातों की काफी कम मात्रा के साथ संबद्ध वस्तु के निवल निर्यातक हैं, इसलिए आयात कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अत: आवेदक ने रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर व संयुक्त राज्य अमरीका के लिए भारत में उत्पादन लागत में तर्कसंगत लाभ जोड़कर बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके उसे ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार सामान्य मूल्य परिकलित करने का प्रस्ताव किया है ।

प्राधिकारी ने इस जांच की शुरूआत के लिए संबद्ध देशों हेतु सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में आवेदक के दावे को स्वीकार किया है ।

ड. निर्यात कीमत

चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत

12. आवेदक ने दावा किया है कि डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों में सूचित चीन जन.गण. के लिए निर्यात कीमत मे कुछ गलतियां लगती हैं और वह अन्य देशों के लिए निर्यात कीमत से काफी अधिक है । तद्नुसार, आवेदक ने ट्रेड मैप डेटा में सूचित एफओबी कीमत को लिया है और उसे चीन जन.गण. के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के

लिए अंतरदेशीय भाड़े, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और कमीशन के लिए समायोजित किया है ।

13. हालाँकि प्राधिकारी ने डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आंकड़ों में यथासूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमतों पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत पर विचार किया है कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा और बैक प्रभार के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं ।

<u>रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमरीका के लिए निर्यात कीमत</u>

14. डी जी सी आई एंड एस के सौदावार आंकड़ों में यथासूचित संबद्ध वस्तु की सीआईएफ कीमतों पर विचार करते हुए अन्य संबद्ध देशें से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत निर्धारित की गई है । कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, अंतरदेशीय भाड़ा और बैक प्रभार के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं ।

च. पाटन मार्जिन

15. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है । इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जो प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु पाटित की जा रही है और पाटन मार्जिन काफी अधिक है जो जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराता है ।

छ. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

16. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है । आवेदक ने दावा किया है कि आयातों के कारण उसकी स्थापना वास्तव में बाधित हुई है । तथापि, आवेदक ने क्षति अवधि में अपनी क्षति संबंधी सूचना भी प्रस्तुत की है । क्षति अवधि के दौरान आयातों और घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों संबंधी सूचना दर्शाती है कि आयातों के कारण ऐसी कीमत वृद्धि पर रोक लगी है जो अन्यथा बढ़ गई होती । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि उसे उत्पादन के निपटान के लिए निर्यात करना पड़ा

है और बिक्री लागत से कम पर घरेलू बाजार में बिक्री करनी पड़ी है । परिणामस्वरूप आवेदक ने बढ़ते हुए घाटे पर संबद्ध वस्तु बेची है और नकद घाटा उठाया है तथा नियोजित पूंजी नकारात्मक आय हुई है । घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटित आयातों द्वारा हो रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जांच को न्यायोचित ठहराते हैं ।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

17. घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को सिद्ध करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं ।

झ. संबद्ध देश

18. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण., रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका हैं ।

ट जांच की अवधि

19. आवेदक ने जनवरी-दिसंबर, 2022 को जांच अवधि मानते हुए सूचना प्रदान की है । आवेदक ने क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्रस्तावित जांच अवधि 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए आंकड़े प्रदान किए हैं । तथापि, वर्तमान जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 महीने) की है । क्षति विश्लेषण अवधि में जांच अवधि तथा तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच अवधि शामिल हैं ।

ठ. प्रक्रिया

20. वर्तमान जांच के लिए नियामावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा ।

ड. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in jd16-dgtr@gov.in adv13-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in, और पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादक को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर यथाउल्लिखित ई-मेल पतों पर नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की अधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें ।

ढ. <u>समय सीमा</u>

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों dd15-dgtr@gov.in jd16-dgtr@gov.in adv13-dgtr@gov.in, और adg16-dgtr@gov.in पर ई-मेल के

माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने वाली या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हितों (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर/ अनुरोध प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

ण. <u>गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

29. प्रश्नावली के उत्तर सहित-प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए- गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

30. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या "अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया

है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (जहां सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो)और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेज के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है ।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं और प्रदत्त सूचना की गोपनीयता को स्वीकार करते हैं तो वह ऐसी सूचना को देने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

त. <u>सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण</u>

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें । अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

थ. <u>असहयोग</u>

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

(अनन्त स्वरूप)

निर्दिष्ट प्राधिकारी